अध्याय – 17

महात्मा गांधी की प्रासंगिकता

'बापू' और 'राष्ट्रपिता' के रूप में चर्चित महात्मा गांधी बीसवीं सदी की दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। पूरी दुनिया में उन्हें शांति, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, शाश्वत पवित्रता, करुणा के प्रति उनके प्रेम तथा सूची जनता को एकजुट करने और औपनिवेशिक ताकत से देश को स्वतंत्र कराने में मदद करने तथा विश्व को नया रास्ता दिखाने में इन साधनों के इस्तेमाल में मिली कामयाबी के लिए याद किया जाता है। गांधी एक सृजनात्मक व्यक्ति थे और वह अपने समय की चुनौतियों का सामना करने के साथि ही वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण भी पेश करने वाले व्यक्ति थे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटीन ने ठीक ही कहा है कि "आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर भरोसा करेंगी कि इस तरह का कोई इंसान कभी इस धरती पर चला भी था।"

गांधी ने इतिहास की दिशा बदल दी और नया इतिहास बनाया। वह सिद्धांतों और दृढ़ आस्थाओं वाले व्यक्ति थे तथा उन्होंने हमेशा वही उपदेश दिया जिसका वह खुद पालन करते थे। उनके लिए सिद्धांत और व्यवहार में कोई विरोधाभास नहीं था और न ही वह सार्वजनिक तथा निजी जीवन में कोई विभेद करते थे। वह दुनिया पर अपनी अमिट छाप इसलिए छोड़ गये क्योंकि उन्होंने सत्य बोला और जन समुदाय खासकर सामाजिक रूप से वंचितों और शोषितों की जुबान को समझा। यहां तक कि अपने निधन के 63 वर्ष के पश्चात् भी गांधी न केवल भारत बल्कि समूची दुनिया में विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडिया, नीति निर्माताओं और स्वप्न–द्रष्टाओं का ध्यान लगातार आकृष्ट करते रहे।

वर्तमान में दुनिया मानवीय इतिहास के एक संकटपूर्ण दौर से गुजर रही है और उसे एक विकल्प की तलाश है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण न केवल लोगों और देश की अर्थव्यवस्था का रूप बदल रहा है बल्कि मूलतः यह दुनिया भर में लोगों की जीवन शैली, दृष्टिकोण, विचारधारा और संस्कृति को भी दिल रहा है। हरेक जगह इन मौलिक बदलावों को देखा जा सकता है। 'छोटे' का स्थान 'बड़ा' ले रहा है। अदृश्य चीजें अब साक्षात दिखने लगी हैं। चारों तरफ भौतिक प्रगति के लिए अंधी होड़ मची हुई है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि इंसान समाज तथा प्रकृति से अलग होता जा रहा है और अलग तरह की हिंसा का आसरा लेने लगा है। हरेक जगह संरचनात्मक हिंसा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सेवा और जरूरत का स्थान लालच ने ले लिया है। नैतिकता और ईमानदारी अब सार्वजनिक जीवन के आदर्श नहीं रह गये हैं। एक संकट का स्थान दूसरा संकट ले लेता है और एक भ्रष्टाचार का स्थान दूसरा भ्रष्टाचार ले रहा है। इसकी वजह से अंततः लोगों की ही मुश्किलें बढ़ती हैं। हालांकि मार्क्सवाद ने पूंजीवाद

का एक विकल्प दिया था लेकिन अपने अंतर्निहित विरोधाभासों के कारण मार्क्सवादी प्रयोग भी नाकाम हो गया। उदारवाद और नव–उदारवाद भी लोगों की समस्याओं को दूर करने के लायक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में लोगों की उम्मीदें गांधीवाद स ही जुड़ी हैं जो कि उन्हें एक विकल्प प्रदान करता है।

गांधीवादी सिद्धांत आधुनिक युग की सबसे बड़ी चुनौती का भी सामना करने में सक्षम हैं। आज के दौर की सबसे पहली जरूरत मानवीय पीड़ा को समाप्त करना है। मानवीय व्यवहार की जटिलता की वजह से वर्तमान विश्व में गांधी का दर्शन बेहद प्रासंगिक हो जाता है। उनका दर्शन, मानवीय स्वभाव की अच्छाई पर बल देना, मानव–जाति की एकता, मनुष्य की सेवा, व्यक्ति के सामूहिक जीवन और अंतर–राज्य संबंधों के लिए वैध माने जाने वाले नैतिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग, परिवर्तन की अहिंसक प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक समानता तथा आर्थिक और राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को मुश्किल में डालने वाले विभिन्न प्रकार के तनावों का समाधान करने की कोशिश करता है। यह प्रेम, सृजन तथा जीवन और सौंदर्य के उल्लास को जन्म देने वाली शक्तियों को सशक्त करने में सक्षम है। यह व्यक्ति के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है और उसकी आध्यात्मिक प्रकृति पर बल देता है। गांधी एक उत्तर और एक विकल्प प्रदान करते हैं जो सबसे बढ़कर व्यक्ति, राज्य और समाज के लिए उम्मीद की एक किरण, भविष्य का एक नजरिया तथा एक खाका है। गांधीवादी विचार और दृष्टिकोण के बारे में की गयी व्याख्याओं को बार–बार दोहराने की जरूरत है ताकि जन–समुदाय अपने विचारों और कार्यों में उन्हें समाहित कर सकें और उनका पालन करें।

गांधी विकासवादी आयामों और नेतृत्व की विफलता की वजह से उपजे समकालीन दुविधा और संघर्षों का समाधान उपलब्ध कराते हैं। यहां तक कि कल्याणकारी राज्य भी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है। आधुनिक भारत की त्रासदी यह है कि गांधी के दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अधिक ध्यान नहीं दयिा गया हैं सत्तारूढ़ अभिजात्य वर्ग को कभो भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि गांधी अपने समय से कहीं आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। मानवता के लिए सामाजिक न्याय और सातत्य की तलाश उस समय तक एक स्वप्न ही रहेगा जब तक मानवता को गांधी की उस बात की अहमियत का एहसास नहीं होता जिसमें उन्होंने कहा था कि नैतिक मूल्यों की अवहेलना और उन्हें नजरअंदाज करने की वजह से अर्थशास्त्र कभी भी सच्चाई के करीब नहीं होता है। गांधी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लिखे गये अपने लेखों और अपने भाषणों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास को हमेशा ही महत्ता दी। गांधी ने 'हरिजन' के 22 जुलाई 1946 के अंक में लिखा कि 'स्वतंत्राता का आरंभ सबसे निचले स्तर से होना चाहिए।' उन्होंने कहा था, 'मेरे सपनों का स्वराज एक गरीब व्यक्ति का स्वराज है। जिंदगी की

जरूरतों की पूर्ति एक सामान्य इंसान को भी वैसे ही होनी चाहिए जैस कि कोई शाही अथवा धनी व्यक्ति करता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे पास भी उनकी तरह महल होंगे। प्रसन्नता के लिए वे जरूरी नहीं है। तुम्हें या मुझे उन महलों को लेकर आसक्त होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हें भी जिंदगी की वे सुविधाएं मिलनी चाहिएं जो धनी व्यक्ति को मिलती है। मेरे मन में इस बात को लेकर तनिक भी संदेह नहीं है कि स्वराज उस समय तक 'पूर्ण स्वराज' नहीं बनेगा जब तक कि इसके भीतर तुम्हें इन सुविधाओं की गारंटी नहीं मिल जाती है।''

गांधीजी की स्वतंत्रता भारत को लेकर बनी तस्वीर उस गीत में साफ झलकती है जो नयी दिल्ली की बान्धी कॉलोनी में होने वाली उनकी संध्या पूजा के दौरान गाया गया था। गांधी के सपनों के भारत की तस्वीर दिखाने वाला यह गीत इस प्रकार था––

गीत

और उन्हें इस बात का एहसास था कि उन्हें यह इंसान कहां मिलेगा।

15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के साथ ही भारत के लोग अचानक ब्रिटिश प्रजा के स्थान पर भारतीय नागरिक बन गये। लेकिन गांधी के शब्दों में यह आजादी नहीं थी बल्कि यह स्वराज यानि स्वशासन था। वह न भारत बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी एक 'नया नागरिक' चाहते थे जो कि दूरदर्शी हो। इस नये नागरिक को समूची दुनिया को एक ही परिवार समझना होगा। उसका दर्शन और विकास का लक्ष्य 'सर्वोदय' यानि 'सभी का विकास' से प्रेरित होगा। उसके सिद्धांत और पद्धतियां 'सत्य एवं अहिंसा' पर आधारित होंगी। उसे अन्याय के खिलाफ अथक लड़ाई लड़नी होगी। उसे अपने विरोधी का हृदय परिवर्तित करने के लिए 'सत्याग्रह' यानि खुद को कष्ट देकर भी सत्य के पक्ष में खड़े रहना, का इस्तेमाल करना होगा।

यह नया व्यक्ति घृणा को प्रेम और प्रतिस्पर्द्धा को सहयोग से बदलने में सक्षम होगा तथा परस्पर–निर्भरता उसके जीवन का मूलभूत सिद्धांत होगा। वह विश्व में शांति, सहिष्णुता और सद्भाव लाएगा। वह भारत तथा पूरी दुनिया को बताएगा कि हमें युद्ध अथवा पलायन का रास्ता अख्तियार करने की आवश्यकता नहीं है और न हमें संघर्षों तथा मतभेदों के समाधान के लिए अत्यधिक आज्ञाकारी होने की आवश्यकता ह। वह हमें बताएगा कि हम शारीरिक शक्ति का सामना आत्मबल से कर सकते हैं और सद्भाव से दूसरे को झुकने के लिए बाध्य भी कर सकते हैं। गांधी के विचारों, कथन और कार्यों को आत्मसात् करके और उन्हें अपनाकर इस 'नव पुरुष' को अस्तित्व में लाया जा सकता है। समस्याओं से जूझ

रही इस दुनिया के लिए मोक्ष गांधी के विचारों के इस 'नवपुरुष' में ही छिपा हुआ है क्योंकि वह समस्त विश्व को एक संयुक्त परिवार समझेगा।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14–15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को दिये गये अपने ऐतिहासिक भाषण में भारतीय शासन के लक्ष्य निर्धारित कर दिये थे। पंडित नेहरू ने गरीबी, अज्ञानता, बीमारी तथा अवसर की असमानता को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। महात्मा गांधी ने भी सुशासन की व्यवस्था में सार्वजनिक नीतियों की प्रभावोत्पादकता के आकलन के लिए कुछ सख्त मानदंड सुझाये थे। उन्होंने कहा था, "क्या यह समाज के निर्धनतम और सबसे कमजोर व्यक्ति को अपनी जिंदगी और भाग्य पर नियंत्रण स्थापित करने लायक बना पाएगा? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या शासन भूखे और आध्यात्मिक रूप से अभावग्रस्त करोड़ों लोगों को स्वराज दिला पाएगा?" इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान में नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया। हालांकि नीति निदेशक तत्व न्याय–योग्य नहीं हैं लेकिन देश के शासन के लिए ये मूलभूत निर्देशों से काम भी नहीं हैं। लेकिन आजादी के बाद के 60 से अधिक वर्षों में भारतीय राज्य अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में निस्संदेह नाकाम रहा है।

गांधी ने नैतिक मूल्यों की श्रेष्ठता संबंधी अपने विचारों को पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए 'हिन्द स्वराज' लिखा था। हिन्द स्वराज भौतिकता पर नैतिकता की श्रेष्ठता की अवधारणा पर आधारित एक नयी विश्व व्यवस्था का घोषणा–पत्र है। यह भारत और बाकी दुनिया के आम लोगों की आवाज होने के साथ ही उन लोगों की भी आवाज है जो अनसुने ही रह जाते हैं। हिन्द स्वराज कई मौलिक सवाल खड़े करता है। ब्रिटेन के साथ भारत का टकराव राजनीतिक और आर्थिक न होकर सभ्यता का था। गांधी ने जिन लोगों को ध्यान में रखते हुए हिन्द स्वराज लिखा था, उनके लिए हालात अब भी अलग नहीं हैं। हिन्द स्वराज वैयक्तिक, राज्य तथा सामाजिक स्तर पर उठने वाले आंतरिक और बाह्य संघर्षों से पैदा होने वाली समकालीन और तात्कालिक समस्याओं से निपटने का गांधी का तरीका है।

भविष्य की उम्मीद भी हिन्द स्वराज में समाहित है। वास्तव में हिन्द स्वराज गांधीवादी विचारों की बाइबल है। यह राष्ट्रपिता द्वारा देश को दी गयी पवित्र पुस्तक है और सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी दौर की गीता है। हिन्द स्वराज के जरिए गांधी भारत के लोगा के आत्म–सम्मान और नैतिक–उद्‌भव को स्थापित करना चाहते थे। दूसरे शब्दों में, इस पुस्तक के जरिए गांधी एक देश के रूप में भारत तथा इसकी राज–व्यवस्था के साथ ही हरेक भारतीय को भी बदलना चाहते थे। हिन्द स्वराज भारत तथा भारतीयों के मूल्यांकन के लिए एक स्रोत ग्रंथ है। यह लोगों के लिए कार्यों की एक निर्देश–पुस्तिका भी है। हिन्द स्वराज भौतिकवादी पश्चिमी समाज की अतिवादिता का आलोचक भी है। यह उपनिवेशवाद, नव–उपनिवेशवाद,

हिंसा और अलगाव जैसी आधुनिक सभ्यता की नकारात्मक प्रवृत्तियों की तरफ भी हमारा ध्यान आकष्ट करती है। इसके अलावा यह पुस्तक राजनीतिक लोकतंत्र को भी अपने दायरे में लेती है क्योंकि सामाजिक लोकतंत्र के बगैर राजनीतिक लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र है ही नहीं। रेलवे, वकीलों और डाक्टरों की आलोचना को उपनिवेशवाद और नव–उपनिवेशवाद के नकारात्मक पक्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। हिन्द स्वराज एक दबे–कुचले समुदाय के लिए संघर्ष करने का वैकल्पिक रास्ता भी सुझाता है। यह दमन, अन्याय, अतिवाद और हिंसा आदि के खिलाफ संघर्ष का तरीका बताता है। यह व्यक्ति, समाज और राज्य के लिए भी विकल्प पेश करता है। अगर ईमानदारी से कह तो भारत के लोक हिन्द स्वराज के बारे में बातें करना पसंद करते हैं लेकिन इसे समुचित तरीके से समझ नहीं पाते हैं औन न–न ही इसके विचारों अथवा दर्शन को कभी साकार रूप दे पाये हैं। यह पुस्तक स्वतंत्रता–पश्चात् के भारत में भारत तथा इसके निवासियों के मूल्यांकन का स्रोत ग्रंथ है।

तीस जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के कुछ घंटों के भीतर ही सरोजनी नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, "ईश्वर करे कि मेरे मालिक, मेरे नेता, मेरे बापू की आत्मा को शान्ति न मिले। बापू कभी आराम नहीं करते हैं। आइए, हम सभी एक प्रण लें। आप हमें शक्ति दें ताकि हम आपके वंशजों, अपने उत्तराधिकारियों से किये गये वादे को पूरा कर सकें। यै लोग ही आपके सपनों के रक्षक और भारत के भाग्य के निर्माता हैं।"

सरोजनी नायडू के इस शब्दों की ताकत हमें यह एहसास कराती है कि हमें गांधी के दो मूलभूत सिद्धांतों सत्य और अहिंसा को विचार और कर्म के रूप में आत्मसात् नहीं होने तक शांति से नहीं बैठना चाहिए। हमें आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए यह उम्मीद रखनी चाहिए कि हम दुनिया के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाएंगे।

गांधी के अनुसार वास्तविक लोकतंत्र न केवल कुछ लोगों बल्कि निर्धनतम व्यक्ति समेत सभी लोगों के लिए मायने रखना चाहिए। यहां तक कि अपंग, नेत्रहीन और मूक–बधिर के लिए भी लोकतंत्र का वही मायने होना चाहिए। वह आदर्श दिखाने के लिए महज जुबानी संवेदना में यकीन नहीं करते थे जैसा मौजूदा समय के अधिकतर नेताओं में आसानी से देखा जा सकता है। गांधी के अनुसार समूचा सामाजिक ढांचा ही ऐसा होना चाहिए कि इस आदर्श को व्यवहार में भी अपनाया जा सके। एक वास्तविक लोकतंत्र उद्देश्य के प्रति अव्वल दर्जे की गंभीरता तथा अत्यावश्यकता की अपेक्षा करता है। गांधी को यह एहसास था कि एक बार जागृत हो जाने पर लोग एक क्रांतिकारी ताकत बन जाते हैं। अगर उन लोगों की न्यूनतम अपेक्षाएं भी

पूरी नहीं की गयीं तो उनमें विस्फोट हो जाएगा। इस जागरूक जनता में हुआ विस्फोट कई तरह के अरुचिकर और बदसूरत रूप भी ग्रहण कर सकता है।

आज मूलभूत सवाल यह है कि क्या शासकों और राजनतिक दलों ने लोकतांत्रिक शासन के उद्देश्य के प्रति अव्वल दर्जे की गंभीरता तथा अत्यावश्यकता की भावना दर्शायी है? इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से नकारात्मक है। इतने सारे कानूनों के बावजूद भारत में चुनाव प्रणाली और समू3ची चुनाव प्रक्रिया जनमत की ईमानदार तस्वीर सही तरीके से नहीं पेश कर पा रही है। हालांकि यह दुनिया के अन्य देशों के लिए भी उतना ही सत्य है। यहां तक कि अपराधी भी चुनाव जीतकर राजनीतिक पदों पर आसीन हो रहे हैं अब चुनाव में ताकत अधिक विश्वसनीय रूप अख्तियार करने लगी है। हालांकि दूसरे देशों में भी स्थिति उज्ज्वल नहीं है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत दी जाती है और कई बार चुनावों में भरपूर धांधली भी होती है। इस तरह उम्मीदवार निर्वाचित न होकर खरीद–फरोख्त के परिणाम होते हैं। सभी मानवीय पहलुओं पर राजनीति का भारी पड़ जाना चुनावी दौर के सबसे दुखद पहलुओं में से एक है।

दरअसल मौजूदा दौर की असंतुष्टि और असमंजस को दूर कर पाने का एकमात्र रास्ता संघर्षों के समाधान का गांधीवादी तरीका अख्तियार करना है। अर्नाल्ड टायनबी ने सटीक आकलन करते हुए कहा है कि 'मानव इति5हास के इस बेहद खतरनाक क्षण में मानव–जाति के लिए मोक्ष का एकमात्र रास्ता भारतीय पथ है जो सम्राट अशोका और महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है तथा श्री रामकृष्ण ने धर्मों के सद्भाव के लिए उसे प्रमाणित भी किया है। यहां हमारे पास एक ऐसा नजरिया और भावना है जो समूची मानव–जाति को एक परिवार की त5रह एक साथ फलना–फूलना संभव बना सकती है। परमाणु हथियारों के इस दौर में अपने–आपको नष्ट कर देने का यह एकमात्र विकल्प है।''

भारत में लोग नैतिक नेतृत्व के लिए लालायित और प्रतीक्षारत हैं लेकिन यहां के राजनेता नैतिक नेतृत्व देने के बजाय पहले से ही दूषित हो चुकी व्यवस्था को बनाये रखने में ही जुटे हुए हैं। यह व्यवसथा सामूहिक दुरास्था से जहरीली होने के साथ ही निजी हितों को महत्ता देने के कारण दूषित हो चुकी है। लोगो को दूरदृष्टि और कल्पना पर आधारित सेवाएं देने के स्थान पर उन्हें धोखे में रखा जा रहा है और छला जा रहा है। एक नागरिक का कर्तव्य न केवल मतदान करना बल्कि समझदारीपूर्वक मतदान करना भी है। उसे सिर्फ और सिर्फ तर्क से संचालित होना चाहिए। उसे किसी भी तरह के विचारों और दलीय आधार से इतर सबसे अच्छे उम्मीदवार को ही मत देना चाहिए। किसी 'गलत दल में मौजूद सही व्यक्ति' किसी भी स्थिति में 'सही दल में मौजूद गलत व्यक्ति' से बेहतर है। वह समय अब बीत गया जब राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस का ही नाम प्रमुखता से उभरता था।

मोटे तौर पर भारतीय 'निम्न जागृति' वाले लोग हैं। वे सामंतवादी दासता और घातक समर्पण के साथ अन्याय और अनुचित कार्यों को सहन करते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली लेकिन उस दिन महात्मा गांधी नयी दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति का कारण बड़ा सरल था। दरअसल उनकी जिंदगी के दो सपने थे। पहला सपना ब्रिटिश आधिपत्य से देश को स्वतंत्र कराने का था जबकि दूसरा सपना भारतीयों को दमन और अन्याय, विषमता और असमानता तथा असहमति और असहिष्णुता से मुक्ति दिलाने का था। खुद उन्हीं के शब्दों में, "मैं एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए कार्य करूंगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि इस देश के निर्माण में उसकी आवाज को भी अहमियत दी जा रही है, एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के बीच अमीर और गरीब का कोई वर्गीकरण नहीं होगा और एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूर्ण सद्भाव से रहेंगे। यह मेरे सपनों का भारत होगा।" उसका पहला सपना तो पूरा हो गया लेकिन दूसरा सपना पूरा नहीं हो पाया। महात्मा गांधी के अनुसार जश्न मनाने का सही समय तब होगा जब दूसरा सपना भी पूरा हो जाएगा। गांधी अपने लोगा के नेता थे, उन्हें किसी भी सत्ता का समर्थन हासिल नहीं था, एक ऐसे राजनेता जिसकी सफलता कौशल और छल पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा के नैतिक बड़प्पन पर आधारित थी, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने धरती के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को बल–प्रयोग के बगैर धराशायी कर दिया, गहन बुद्धिमत्ता और सम्मोहक विनम्रता से परिपूर्ण आत्मा, लौह इच्छाशक्ति और अडिग संकल्प रूपी हथियारों से लैस तथा सैनिक शक्ति की क्रूरता का एक साधारण इंसान की गरिमा के साथ प्रतिरोध करने वाले एक दुर्बल काया के व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के लिए सत्य ही ईश्वर था तथा अहिंसा उनका धर्म था। राजद्रोह के मामले की यादगार सुनवायी के दौरान वर्ष 1922 में उन्होंने कहा था, "अहिंसा मेरी आस्था का पहला बिन्दु है। यह मेरे पंथ का अंतिम बिन्दु भी है। अहिंसा में बहादुरी मर जाने में निहित है, न कि मारने में।" उनकी दयालुता और मानवता ब्रह्माण्ड की तरह सीमाओं के परे है। उन्होंने कहा, "भारत के सभी धर्मों और नस्लों के सभी लोगों को एक बैनर के तले एकत्र करो और सभी सांप्रदायिक तथा संकीर्ण विचारों से उन्हें दूर रखने के लिए उनके भीतर एकता तथा सद्भावना के भाव प्रवाहित करें।" वह आगे कहते हैं कि "मेरा हिन्दुत्व धर्मनिरपेक्षता नहीं है। इसमें इस्लाम, ईसाइयत, बौद्ध और पारसी धर्मों के वे सबसे अच्छे तत्व भी समाहित हैं, जिनसे मैं परिचित हूं। सत्य मेरा धर्म है और अहिंसा इसे मूर्त रूप का एकमात्र रास्ता है।" गांधी की यह दृढ़ राय थी कि एक अच्छे नागरिक का जीवन देश की सेवा में किये गये कर्मों का जीवन है। उन्होंने अपने शरीर के साथ ही अपने शब्दों की भी अंत्येष्टि कर दिये जाने की इच्छा जताते हुए कहा था, "मैंने जो किया है वह बरकरार रहेगा, न कि वह जो मैंने कहा है अथवा लिखा है।"

महात्मा गांधी के शरीर को निशाना बनाने वाली घृणा और कट्टरता उनकी महात्मा आत्मा को छू भी नहीं पायी थी। भारतीय प्रणालियां और विचारधाराएं किसी समय प्रासंगिक और दूसरी स्थिति में पूरी तरह अप्रासंगिक भी हो सकती हैं लेकिन इस महान और मानवता तथा बुद्धिमत्ता के सौम्य चिराग की शिक्षाएं अनंत काल के लिए हैं। उन्होंने हमें एक देश के तौर पर आत्म–सम्मान तथा गरिमा के एहसास का अनमोल उपहार दिया। महात्मा गांधी ने अपना अंतिम साक्षात्कार 30 जून 1948 को दोपहर में 'लाइफ' पत्रिका की अमेरिकी पत्रकार मार्गरेट बर्क को दिया था। उस साक्षात्कार में मार्गरेट ने गांधी से पूछा था कि क्या वह एक शहर पर नाभिकीय हमले की सूरत में भी अहिंसा के अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहेंगे। महात्मा गांधी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अगर असहाय लोग अहिंसा की भावना के साथ मरते हैं तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वे उस पायलट की आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे जिसने बिना विचारे उस शहर को मौत की तरफ धकेल दिया। मानव–जाति की सहानुभूति के लिए यह उनका अंतिम संदेश था। वह अपने आपको पूरी तरह से भारतीय जनमानस के रूप में देखते थे। उन्होंने कहा था, ''हमें सबसे पहले लोगों के साथ काम करके उनके जीवंत सम्पर्क में आना चाहिए, ताकि हम उनके दुख–दर्द साझा कर सकें, उनकी मुश्किलों को समझ पाएं और उनकी जरूरतों का अनुमान लगा सकें। अछूतों के साथ हमें अछूत ही रहना चाहिए ताकि हम यह देख सकें कि ऊंची जातियों की आलमारियों को साफ करना और उनके घर में बचे–खुचे सामान का अपनी तरफ फेंका जाना कैसा लगता है। हमें यह देखना चाहिए कि बम्बई के मजदूरों के साथ डिब्बों, जिन्हें गलती से घर कहा जाता है, में रहकर कैसा लगता है। हमें उन ग्रामीणों के साथ खुद को देखना चाहिए जो कड़ी धूप में मेहनत करके अपनी पीठ जला रहे हैं। हमें उस तालाब से पानी पीकर भी देखना चाहिए जिसमें ग्रामीण नहाते हैं तथा अपने कपड़े और बर्तन धुलते हैं तथा उनके मवेशी भी उसी तालाब से अपनी प्यास बुझाते हैं और उसमें लोट–पोट भी होते रहते हैं। जब हम ऐसा कर लेंगे तभी हम सही तरीके से आम जनता का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे और उस समय वे निश्चित रूप से आपकी हरेक आवाज का जवाब देने आएंगे।''

भारत के लोगों ने पूर्ण समर्पण की भावना से महात्मा गांधी के आह्वान का जवाब दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि ''वास्तविक स्वराज कुछ लोगों के हाथों में सत्ता का अधिग्रहण होने से नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग किये जाने पर उसका प्रतिरोध करने की क्षमता हरेक व्यक्ति में आ जाने पर आएगा।'' वह बारंबार इस बात का जिक्र किया करते थे कि भारत को आजादी दिलाकर सार्वभौमिक बन्धुत्व के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। वह सच्चे अर्थ में मानवता की विस्तारित बेहतरी को हासिल करने में जुटे हुए थे।

गांधी ने अर्थ और मोक्ष, धर्मनिरपेक्षता और आध्यात्मिकता तथा शक्ति और न्याय के मूल्यों के बीच सहिष्णुता का मार्ग दिखाया है। गांधी ने 'पुरुषार्थ' की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह मूल्यों और आदर्शों का एक ऐसा समुच्चय है जिसके दायरे में रहते हुए भारत में सार्वजनिक विचार–विमर्श हो सकता है और यही होना भी चाहिए। वह जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टि प्रस्तुत करते है। धन, शक्ति, सुख, कलात्मक सौंदर्य, नैतिक एकनिष्ठता और आत्मा की स्वतंत्रता रूपी पुरुषार्थ सभी भारतीयों की कामना के लक्ष्य हैं। गांधी यह विवेचना भी करते हैं कि कामना आधुनिक भारत के सार्वजनिक दर्शन का आधार क्यों और कैसे होनी चाहिए।

पुरुषार्थ की अवधारणा के तीन तरह के मायने हैं। पहला, यह किसी भी मानवीय श्रम से संबंधित है, दूसरा, यह भाग्य और कर्म के ढांचे को तोड़ने के लिए किये गये मानवीय प्रयास से संबंधित है। और तीसरे अर्थ में यह जीवन के चार सर्वमान्य लक्ष्यों––धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उल्लेख से सबंधित है। 'धर्म' जहो धार्मिक मान्यताओं और नैतिक मूल्यों से संबंधित है वहीं 'अर्थ' धन और शक्ति से जुड़ा हुआ है। 'काम' शारीरिक सुख और आनन्द की अनुभूति से संबंधित पुरुषार्थ है जबकि 'मोक्ष' का तात्पर्य जन्म–मरण के चक्र से मुक्त हो जाने से है।

गांधी स्वयं इन पुरुषार्थों को बड़ी खूबसूरती से अभिव्यक्त करते हैं। वह धार्मिक हैं, वह प्रसन्न हैं और एक तरफ वह धनवान भी हैं। वह आत्मनिष्ठ हैं, किसी के भी प्रति उनके मन में दुर्भावना नहीं है, किसी का भी शोषण नहीं करते हैं और सदैव सच्चे मन से काम करते है। इस तरह का हरेक व्यक्ति मानवता की सेवा के योग्य है।

पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के मुताबिक मौजूदा समस्याओं को एक ही स्रोत से उपजा हुआ माना जा सकता है। राजनीतिक प्रतिष्ठान का नौकरशाही से लगभग पूर्ण अलगाव हो चुका है और एक तरफ समृद्ध आभिजात्य वग है तो दूसरी तरफ नागरिक समाज के लोग। इनमें से नागरिक समाज को छोड़कर बाकी सभी लोग अपनी अहमियत और ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेता चुनाव प्रणाली के जरिए और नौकरशाह कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं में गड़बड़ी करके अपनी महत्ता बढ़ाने की कोशिश करते हैं जबकि समृद्ध आभिजात्य वर्ग राजनीति और नौकरशाही के साथ अपने अनुचित संबंधों के माध्यम से इस शोषणकारी व्यवस्था में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा रहता है।

नागरिकों को इस बात का एहसास होता है कि राज्य ने गुंडों और मवालियों के आगे अपनी शक्ति का प्रयोग करना धीरे–धीरे बंद ही कर दिया है। जिलाधिकारी, निगम पार्षद, विधायक, सांसद और मंत्री को

अब वह प्रतिष्ठा नहीं मिलती है जो कभी मिला करती थी। आम नागरिक की दृष्टि में, अदालते और संसद धोखेबाजी, बेईमानी और जोड़–तोड़ को वैधता दिलाने क उपाय–भर बनकर हर गयी हैं।

सत्तारूढ़ दल के साथ ही अन्य दलों के नेता भी अपने निजी हितों को छोड़कर उस मूलभूत तथ्य को समझने में नाकाम रहे हैं कि अगर राजनीति सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित होकर रह जाती है तो इस देश में कोई भी पार्टी बची नहीं रह सकती है, फलने–फूलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। भारत में राजनीतिक हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राजनीति का इस कदर अपराधीकरण हो चुका है कि अब अपराध का राजनीतिकरण होने लगा है।

नागरिक भारत के तर्कसंगत विकास को बाधित करने के लिए तीन कारक जिम्मेदार हैं। पहला, गरीबो है जिसकी वजह से किसी भी कीमत पर आर्थिक सुरक्षा की जरूरत पैदा हो रही है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। दूसरा कारक बड़ी तेजी से बढ़ रही जनसंख्या है और तीसरा कारक धार्मिक–जातीय पहचान और एकता क सिद्धांत के बीच का टकराव है। जन–मानस पर इन दबावों के परिणाम स्वरूप भारत में एक आत्म–केन्द्रित समाज का आविर्भाव हो गया है। यह समाज तुच्छ निजी स्वार्थों, आत्म–संवर्द्धन और स्वार्थी आकांक्षाओं से हटकर दूर तक देख पाने में असमर्थ दिखायी दे रहा है। अब यह अपवाद छोड़कर नियम बन गया है जो सभी निष्पक्ष लोगों को एक भारी बोझ से लाद देता है। दरअसल इन निष्पक्ष नागरिकों को इस बात का भली–भांति एहसास है कि दूसरों की फिक्र करने वाली जीवन–शैली के प्रति लोगों का भरोसा बहाल करने में कामयाब नहीं होने पर निकट भविष्य म हमारे पास नाम को चरितार्थ करने वाला कोई देश ही नहीं बचा रह जाएगा।

हममें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी सामाजिक संस्कृति से समृद्ध न हुआ हो। चाहे वह संगीत, भोजन या वेशभूषा जैसे रोजमर्रा के मामले ही क्यों न हों। उदाहरण के लिए एक माला के भीतर मौजूद अदृश्य धागा राष्ट्रीयता अथवा अंतर्राष्ट्रीयता का शानदार रूपक है। अगर इस माला के धागे को कहीं से भी काट दिया जाता है तो माला का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यहां पर सवाल यह उठता है कि इस धागे को किस तरह बचाकर रखा जाए। मेरी सलाह है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें एक अलग तरह की भाषा अपनाने की आवश्यकता है। दुनिया का कोई भी देश अपना अस्तित्व तभी कायम रख पाएगा जब वह अमीर और गरीब के बीच की सबसे गहरी खाई को पाटकर नयी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करता है जिससे एक नागरिक की दूसरे के साथ बढ़ रही दूरी भी समाप्त हो जाती है।

अधिकतर राजनेताओं की नैतिक सत्ता लगभग विलुप्त हो चुकी है क्योंकि उन्हें मौका–परस्त माना जाता है और प्रायः उन्हें अपराधियों और बेईमान व्यवसायियों की कतार में शामिल कर दिया जाता है। इस

तरह नेताओं के लिए समाज को अनुशासित कर पाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समाज इन नेताओं को अनुशासनहीनता के उदाहरण के रूप में देखता है। आम आदमी हमारे नैतिक स्तर में आयी गिरावट और समूची दुनिया में फैल रही नैतिक बीमारी से काफी परेशान है। धन की ताकत का असर सर्वत्र दखा जा सकता है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि हम उस स्थिति तक न पहुंच जाएं जहां उदासीनता एक संक्रामक रोग बन जाए अथवा अत्यधिक थकान की भावना धीरे–धीरे समूचे देश में फैल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक हद तक हिंसा को स्वीकार्य कर लिया जाता है, घोटाले रोजमर्रा की बात हो जाते हैं और उग्रवादी प्रतिरोध को फिल्मी कहानी के रूप में पेश किया जाने लगता है। आनन्द, नियंत्रण और हिंसा की जगह आत्म–नियंत्रण, साझेदारी और दयालुता की कामना करने के लिए लोगों को प्रेरित करने में शिक्षा को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम सभी भारतीयों को ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' का अपना उदात्त लक्ष्य हासिल करने के लिए पहले खुद को एक सूत्र में पिरोना होगा।

राजनीतिक दलों को भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ अपवादों को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी लाभ के लिए जाति, धर्म और भाषा का इस्तेमाल किया है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पिदले पांच या कुछ अधिक वर्षों में, खासकर भारत में कुछ ऐसी स्थिति बन गयी है कि किसी गलत काम का विरोध किये जाने अथवा उसे बर्दाश्त किये जाने के बार में कुछ कहना मुश्किल है। आर्थिक अपराधियों और घोटालेबाजों का अब विरोध किया जाने लगा है लेकिन यह भी सच है कि उन्हें वर्षों तक यह गड़बड़ी फैलाने की अनुमति दी गयी थी। इससे साबित होता है कि इन लोगों को न केवल बर्दाश्त किया गया था बल्कि संभवतः उन्ह बढ़ावा भी दिया जाता रहा।

एक देश के तौर पर भारत की सफलता को एक विषमता से परिपूर्ण परिवेश को समरूप बना दिये जाने से नहीं आंका जाएगा बल्कि सफलता तो वह कही जाएगी जिसमें विविधता से परिपूर्ण समाज भी एक साथ अस्तित्व में रहें और उनके बीच सद्भाव भी बना रहे। इस विविधतापूर्ण समाज में परंपराओं और आधुनिकता का समुचित मेल होगा और मानव–निर्मित पूंजी प्राकृतिक पूंजी का विनाश नहीं करेगी। भारत में दोनों ही तरह के माडल की मौजूदगी के कुछ खास क्षेत्र हैं।

सारांश

हमें उन शांतिपूर्ण और खुशहाल दिनो की भावना और आदर्शों की तरफ लौटना चाहिए जब ''सबसे पहले और सबसे आगे राष्ट्र'' के दर्शन का अनुसरण किया करते थे। उस समय हम दिल की जुबान बोलते थे, आदर्शवाद की हवा में सांव लेते थे, स्वार्थ–रहित सेवा और बलिदान के रास्ते पर कदम–से–कदम मिलाकर चलते थ तथा मातृभूमि के सभी बेटों और बेटियों को सदैव खुद को ''भारतीय पहले, भारतीय

आखिर में और भारतीय हमेशा'' मानने में गर्व होता था। आज के समय की यह जरूरत है कि देश के नेता और लोग महात्मा गांधी के आदर्शों और शिक्षाओं से प्रेरित हों। हमें सरकार के शीर्ष पर मूल्यों से परिपूर्ण एक व्यक्ति की जरूरत है। हमें एक 'दार्शनिक राजा' की आवश्यकता है। जिसका दिमाग साफ हो और जिसका दिल सही स्थान पर मौजूद हो। अगर यह सच हो जाता है तो गांधी की प्रासंगिकता बनी हुयी है। अगर कल की नीतियां विशुद्ध व्यक्गित आकांक्षा के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त करा दी जाती हैं और इंसान को शारीरिक तथा मानसिक तौर पर गरीबी, बीमारी और भूख से मुक्ति दिलाने जैसे महान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बनायी जाती हैं तो गांधी प्रासंगिक हैं। अगर दया–भाव, क्षमा–भाव, सज्जनता और दूसरों के लिए फिक्रमंद होने जैसे गुण सार्वजनिक जीवन का अंग बने हुए हैं तो गांधी की प्रासंगिकता है। समय बीतने के साथ ही गांधी की प्रासंगिकता न केवल हमारे देश बल्कि पूरे विश्व के लिए बढ़ जाएगी। मुझे तनिक भी यह संदेह नहीं है कि जहां तक मेरे देशवासियों और खासकर महज गांधी का नाम सुनने वाली युवा पीढ़ी का संबंध है, वे भारत के ऐतिहासिक काया–तरण से जुड़ी वास्तविक समस्याओं को पूरी समग्रता में और पर्याप्त समय देकर हल कर लेंगे। आज भी गांधी की प्रासंगिकता यथावत् है। हकीकत तो यह है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से संबंधित गांधी के विचार और नजरिया उनके जीवन–काल की तुलना में अब अधिक प्रासंगिक हैं। नीति–निर्माताओं, राजनीतिज्ञों, बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों को अपनी सोच और कार्यों में निश्चित रूप से महात्मा गांधी के जंतर का ध्यान रखना चाहिए।

गांधी ने कहा था, ''मैं आप लोगों को एक जंतर दूंगा। जब कभी आपके मन में कोई संदेह हो अथवा आपका अहम आप पर भारी पड़ने लगे तो यह तरीका अपनाना। उस सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करना जिसे तुमने देखा है और खुद से यह सवाल करना कि अगर तुमने यह कदम उठाया तो उससे उस व्यक्ति को कोई लाभ हो जा रहा है अथवा नहीं? क्या उसे तुम्हारे इस कदम से कुछ मिलेगा? क्या तुम्हारा कदम उस व्यक्ति के लिए अपने जीवन और भाग्य पर किसी तरह का नियंत्रण स्थापित करने में मददगार बन पाएगा? दूसरे शब्दों में, क्या यह कदम भूख और आध्यात्मिक वंचना से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए स्वराज ला पाएगा? तब तुम्हें अपने संदेह के जवाब मिल जाएंगे और तुम्हारा अहम भी जाता रहेगा।''

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गांधी के कहे हुए शब्द, उनका लेखन और उनके कार्य सदियों तक ध्वनित होते रहगे। इसी के साथ हमें उन सात सामाजिक पापों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनका उल्लेख महात्मा गांधी ने 22 अक्टूबर 1925 को यंग इंडिया के अपने लेख में किया था। ये सामाजिक पाप हैं––

सिद्धांतों के बगैर राजनीति,

कार्य के बगैर धन,

अंतःकरण के बगैर आनन्द,

चरित्र के बगैर ज्ञान,

नैतिकता के बगैर व्यवसाय,

मानवता के बगैर विज्ञान, और

बलिदान के बगैर आराधना।

जिंदगी के लिए जो महत्व सांस का है वही मानवता और सभ्यता के लिए गांधी का है। जब तक दुनिया में आपसी संघर्ष, शत्रुता, जातीय वैमनस्य, धार्मिक अशांति, आंतरिक टकराव और सैनिक कब्जे का भय बना रहेगा, लोग महात्मा गांधी की तरफ रुख करते रहेंगे। उनकी उपयोगिता उस समय तक समाप्त नहीं होगी जब तक संघर्ष बंद नहीं हो जाते हैं, भेदभाव समाप्त नहीं हो जाता है, महिलाएं सशक्त नहीं हो जाती हैं और गरीब सम्मानपूर्वक जीवन नहीं व्यतीत करन लगते हैं।